प्रकरण संख्या 03/2019 शान्तिलाल व अन्य बनाम श्रीमती गौरी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2024	पत्रावली प्रस्तुत। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 गौरी का देहान्त सन् 2017 में हो गया है तथा अपीलान्ट ने मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध अपील वर्ष 2019 में प्रस्तुत की है। मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध अपील लाई नहीं होती है तथा मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने से खारिज की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि उन्हें रेस्पोन्डेयन्ट संख्या 1 श्रीमती गौरी के देहान्त हो जाने की कोई सूचना नहीं थी। जानकारी होते ही उनके द्वारा आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः मृतक श्रीमती गौरी के विधिक वारिसान थावराचन्द्र व विनोद को रेकार्ड पर लिया जावे। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमती गौरी का देहावसान वर्ष 2017 में हो चुका था, जबकि अपीलान्ट द्वारा अपील वर्ष 2019 में प्रस्तुत की गयी है। अर्थात मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जबकि मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील Nullity होती है। अतः रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाता है तथा अपील मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत होने के कारण Nullity होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 05.11.2001 यथावत रखा जाता है। अपील फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat Date: 2024.10.30 12:51:30 IST Reason: SelfAttested (दीपसिंह सांगावत) खण्ड अधिकारी एवं अति. राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	